



अधिकतम : 20°C
न्यूनतम : 09°C

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

हल्द्वानी, शुक्रवार 13 फरवरी 2026 हल्द्वानी संस्करण: वर्ष 23 अंक 169 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

shahtimes2015@gmail.com

फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10 चित्रमी सम्वत् 2082

24 श्रावण 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुंबईकरनर, देहरादून, हल्द्वानी, मुद्रावादा, बोरो, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पर E-paper



विदेशी दबाव में आकर समझौते देशहित के खिलाफ: खड़गे



ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता स्वर्ण पदक खेल टाइम्स



संघर्ष, सेवा और साहित्य का संगम था सरोजिनी नायडू का जीवन सम्पादकीय



इजरायल ने गिराए थे गाजा में प्रतिबंधित वैक्यूम बम

संक्षिप्त समाचार

जनवरी में 2.75 प्रतिशत रहीं महंगाई दर
नई दिल्ली। सरकार ने नई सीरिय (आधार वर्ष 2024) के तहत वस्तु महंगाई का पहला आंकड़ा गुस्कार को जारी कर दिया। इसके अनुसार, जनवरी 2026 में महंगाई दर 2.75 प्रतिशत दर्ज की गई। नई सीरिय में जनवरी 2025 से अब तक के उपलब्ध महंगाई के आंकड़ों में जनवरी 2026 की महंगाई दर सबसे अधिक है। इसके आधार पर पिछले साल जनवरी में वस्तु महंगाई 1.67 प्रतिशत और दिसम्बर 2025 में 0.08 प्रतिशत रही थी। इस साल जनवरी में खाद्य महंगाई दर 2.13 प्रतिशत दर्ज की गई। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि जनवरी में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 2.73 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 2.77 प्रतिशत रही। इसमें खाद्य एवं गैर खाद्य महंगाई दर 2.11 प्रतिशत, कपड़ों तथा जूते-चप्पलों की 2.98 प्रतिशत और स्वास्थ्य सेवाओं की 2.19 प्रतिशत दर्ज की गई है।

मशहूर समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का निधन
नई दिल्ली। मशहूर समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का गुस्कार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में निधन हो गया। वह 71 वर्ष की थीं। सुश्री माहेश्वरी दूरदर्शन के साथ अपने लंबे जुड़ाव के लिए जानी जाती हैं। कई दशकों तक दूरदर्शन पर अपनी शक्त, गंभीर आवाज और संतुलित समाचार प्रस्तुति के कारण उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। परिवार के सुबुने ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार गुस्कार शाम 6 बजे दिल्ली के निजाम बोरी घाट पर किया गया। वहीं सी पी एलवर्मा के बाद 1976 में समाचार प्रस्तुत करने के रूप में वह दूरदर्शन से जुड़ीं और दो साल की सांख्यिकी उपस्थिति को छोड़कर, वह हमेशा राष्ट्रीय प्रसारक के साथ जुड़ीं रहीं।

30 करोड़ श्रमिकों की हड़ताल का दिखाना-जुला असर
नई दिल्ली। सरकार पर कारपोरेट समर्थक नीतिगत का आरोप लगाते हुए श्रमिक संगठनों के भारत बंद का गुस्कार को देशभर में मिला-जुला असर दिखा। इसका सामना जनजीवन में खास असर नहीं रहा। बला दें कि मजदूर संघों में ने सरकार पर मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें 30 करोड़ मजदूरों के शामिल होने का आवां किया गया था। फाइट फॉर राइट के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उमंग बंसल ने कहा कि यह पूरी ही राजनीतिक से प्रेरित हड़ताल है और इसका असर देश में नहीं पहुंचे वाला है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में हुआ सुधार
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में तेज विलीन-परिचयी हवाओं के चलते ये गुस्कार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एनपीआई) में सुधार दर्ज किया गया। क्योंकि एक आंकड़ों के अनुसार, गुस्कार सुबह नौ बजे राजधानी का एनपीआई 194 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। यह गुस्कार के 305 (खराब) के स्तर से काफी बेहतर है।

भारतीय वायुसेना को मिलेगे 114 राफेल लड़ाकू विमान

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों की अगुआई में भारत यात्रा से पहले सरकार ने वायुसेना के लिए फ्रांस से अतिरिक्त बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान राफेल की दो दशक से भी अधिक समय से लटकी पड़ी खरीद को गुस्कार को हरी झंडी दिखा दी।

दो दशक से भी अधिक समय से लटकी पड़ी खरीद के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई

रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 3,60 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को दी गई मंजूरी

तटरक्षक बल को 2312 करोड़ रुपये

की लागत से मिलेंगे आठ डॉनियर 228 विमान

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए आठ डॉनियर 228 विमानों की खरीद के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरण हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 2,312 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने गुस्कार को बताया कि यह अनुबंध 'बाय (डिडिपन)' श्रेणी के अंतर्गत किया है और इसमें संचालन भूमिका संबंधी उपकरण की खरीद भी शामिल है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस अनुबंध पर वहां एचएएल के ट्रांसपोर्ट एक्साकट डिवाजन, कानपुर के साथ हस्ताक्षर किए गए। इस अनुबंध से एलएएल का उत्पादन तंत्र सुदृढ़ होगा तथा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और सहायक उद्यमों के व्यापक नेटवर्क को समर्थन मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल तंत्र बनाने में भी मदद मिलेगी। यह अनुबंध आविर्भाव भारत और मेक-इंड-इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है तथा भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना को भी मजबूत बनाता है।



की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस प्रस्तावों को आवश्यकता के आधार पर खरीद को मंजूरी दी गई है। इन खरीद सौदों के पूरा होने से सशस्त्र बलों की युद्धक तैयारी तथा मार्क क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। उल्लेखनीय है कि रक्षा खरीद बोर्ड ने पिछले महीने ही करीब सवा तीन लाख करोड़ हैं। मंत्रालय ने बताया कि परिषद की बैठक में सेना के लिए टैंक रोमी सुरंगों (रेपम) और टी-72 के पास 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं। मंत्रालय ने बताया कि परिषद की बैठक में सेना के लिए टैंक रोमी सुरंगों (रेपम) और टी-72

मॉडर्नाइज की सूझा मामलों की समिति में भी मंजूरी दी जाएगी। सुबुने के अनुसार इस सोरे से बायसेना को 118 विमान पूरी तरह तैयार मिलेंगे, जबकि शेष 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे और इनमें से कुछ विमान दो सोटो वाले भी होंगे विमान का उत्पादन पायलटों की प्रशिक्षण में किया जाएगा। फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाने वाला राफेल एक अत्याधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो हथ से हथ और रक्षा से जमीनी हमलों के साथ-साथ निगरानी मिशन चलाने तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस विमान को अत्याधुनिक मिसाइलों मिसाइलों तथा स्क्वैल क्रूज से लैस रहता है।

‘घूसखोर पंडित’ के फिल्ममेकर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

शीर्ष अदालत ने कहा: समाज के एक हिस्से को बदनाम नहीं कर सकते

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुस्कार को फिल्म घुसखोर पंडित के फिल्ममेकर नील पांडे को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को बदनाम नहीं कर सकते हैं।

पहले बदला हुआ नाम बताएं तभी फिल्म रिलीज होगी, बेंच ने ‘घुसखोर पंडित’ की एक याचिका पर सुनवा व प्रसारण मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी नोटिस जारी किया

कोर्ट ने फिल्ममेकर को एक एंफिक्ट फाइनल करने का निर्देश दिया कि घुसखोर पंडित समाज के किसी भी वर्ग को नीचा नहीं दिखाता। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। ‘घुसखोर पंडित’ के खिलाफ दावर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि वह जाति और धर्म पर आधारित स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती है। सांख्यिकी सद्भाव और संवैधानिक संरक्षण के लिए धारा 14 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन सचल अलम मिश्रा द्वारा फाइल की गई। इस पीआईएल पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस याचिका को फिल्म ‘घुसखोर पंडित’ की रिलीज पर रोक लगाई की मांग की गई थी। इस फिल्म को लेकर देश के कई राज्य में विरोध प्रदर्शन भी हुए। कई फिल्म संस्थानों ने भी इनके नाम को लेकर आपत्ति जताई। आखिर में मेकर्स ने नाम बदलने की बात की। फिल्म ‘घुसखोर पंडित’ में मनोज बाजपेई के अलावा नुरस भरचा, नाविक सलीम, अश्व अंबेकर और दिव्या दत्ता जैसे कलाकार नजर आएंगे।

नहीं करते दो। कोर्ट ने फिल्ममेकर को एक एंफिक्ट फाइनल करने का निर्देश दिया कि घुसखोर पंडित समाज के किसी भी वर्ग को नीचा नहीं दिखाता। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। ‘घुसखोर पंडित’ के खिलाफ दावर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि वह जाति और धर्म पर आधारित स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती है। सांख्यिकी सद्भाव और संवैधानिक संरक्षण के लिए धारा 14 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन सचल अलम मिश्रा द्वारा फाइल की गई। इस पीआईएल पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस याचिका को फिल्म ‘घुसखोर पंडित’ की रिलीज पर रोक लगाई की मांग की गई थी। इस फिल्म को लेकर देश के कई राज्य में विरोध प्रदर्शन भी हुए। कई फिल्म संस्थानों ने भी इनके नाम को लेकर आपत्ति जताई। आखिर में मेकर्स ने नाम बदलने की बात की। फिल्म ‘घुसखोर पंडित’ में मनोज बाजपेई के अलावा नुरस भरचा, नाविक सलीम, अश्व अंबेकर और दिव्या दत्ता जैसे कलाकार नजर आएंगे।

यूपी पंचायत चुनाव से पहले बनेगा पिछड़ा वर्ग आयोग

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। उप सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया है कि प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा।

सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

को चुनौती दी गई थी। सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि इसी समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सौदों का आश्वासन दिया जाएगा। यह करम सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के फलन में उठाया गया है, जिनमें स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समर्पित को समुचित काम होना अनिवार्य बताया गया है।

मुजफ्फरनगर: मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी डेर

शाह टाइम्स ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञान रोड पर बुधवार देर रात पुलिस ने एक सशस्त्र मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अमजर को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, किन्तु उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दो पुलिसकर्मी भी घायल, मार गए बदमाश पर 40 जघम केस थे दर्ज

गिरफ्तो का सक्रिय सत्य बताया जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचल वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्रामीण इलाके के जंगल के समीप कुछ बदमाशों को वोट सल्लि कई मामलों में शामिल रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना बुढ़ाना, जहां विज्ञान रोड पर बुधवार पुलिस को सूचना मिली ने सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर सचन चौकिए शुरू की। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार सड़ियन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन खुद को निरा देख, उन्होंने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान आवारशर्था फायरिंग में बदमाशों की गोलियां एलपी देहात आदिबल बंसेर की गाड़ी पर लगीं। वहीं कई गोलियां पुलिसकर्मी की बुटेलगन बैटल पर भी लगीं। इस दौरान दो पुलिस अधिकारी और सिपाही अफराकत पायल हो गए, किन्तु तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नाकेबंदी कर सचन चौकिए शुरू की। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार सड़ियन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन खुद को निरा देख, उन्होंने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान आवारशर्था फायरिंग में बदमाशों की गोलियां एलपी देहात आदिबल बंसेर की गाड़ी पर लगीं। वहीं कई गोलियां पुलिसकर्मी की बुटेलगन बैटल पर भी लगीं। इस दौरान दो पुलिस अधिकारी और सिपाही अफराकत पायल हो गए, किन्तु तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला: मदनी

नई दिल्ली। मुस्लिम संगठन जमात उलेमा-ए-हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार को ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। संगठन ने सरकार के आदेश को एकतरफा और मनमाना बताया। जमात के प्रेसिडेंट मोलाना बोरसद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुस्लिमन किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद नागपुत्र को एक रचना के रूप में दिखते हैं।

जमात ने वंदे मातरम को एक आदेश जारी कर राष्ट्रपति वंदे मातरम को मजबूरन जंग मन को तलह ही सम्मान देने का अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रपति के

जमायत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख ने कहा: ये मनमाना और एकतरफा वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठन पंजाब में भी फैसले का विरोध, दल खालसा ने सिख पहचान के खिलाफ बताया, हिंदुत्व विचारधारा को सिख समुदाय पर थोपने का प्रयास



गाने को जरूरी बनाया और इसे नागरिकों पर थोपने की कोशिश देशपक्ष का इन्हार नहीं है, बल्कि यह चुनावी राजनीति, एक सांप्रदायिक एजेंडा और बुनियादी मुद्दों से दूर का ध्यान हटाने की कोशिश है। देश के लिए याद का असली पैमाना नागों में नहीं, बल्कि किरदार और कुर्बानियों में है। इसकी शानदार मिसालें मुस्लिमनाओं और जमायत उलेमा-ए-हिंद के ऐतिहासिक संघर्षों में खास तौर पर देखी जा सकती हैं। ऐसे फैसले देश की शांति, एकता और डेमोक्रेटिक मूल्यों को कमजोर करते हैं और सिव्धाना को पावना को कमजोर करते हैं। वंदे मातरम की जरूरी बनाया सिव्धाना, धार्मिक आजादी और डेमोक्रेटिक उल्लूकों पर साफ हमला है। वंदे मातरम अगिला-
-शेष पृष्ठ दो पर

भारतीय नौसेना ने पहली बार सीटीएफ की कमान संभाली

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने बहुदूरगामी संयुक्त समुद्री बल (सीएमफ) के अंतर्गत बहुदूरगामी संयुक्त टास्क फोर्स (सीटीएफ) 154 की कमान संभाल ली है। नौसेना ने गुस्कार को बताया कि बेहरीन के मजबूत स्थिर सीएमफ को मुस्लिमना में एक समारोह में भारतीय नौसेना ने बुधवार को टास्क फोर्स की कमान संभाली। समारोह की अगुयाक्षा अमीर्मा की नौसेना के वाइस एडमिरल कृष्ण ए. रेवॉने ने की।

इस अवसर पर भारतीय नौसेना के हिटो चीफ ऑफ नेवल टास्क वाइस एडमिरल तरुण सोनीबी तथा अन्य सरव्य देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय नौसेना के कमिन्धर मिलिए एन. मोहोरी, शीर्ष कर्मी, न हालती नौसेना के निदेशिका कमिन्धर से सीटीएफ 154 की कमान अतिरिक्त रूप से संभाल रही है। सीटीएफ 154 विशेष रूप से सीएमफ के सरव्य देशों के प्रशिक्षण और सैन्य निगरानी के केंद्रित है। यह छंद में भारत की फ्लेजर क्रिस्तेलस, संयुक्त समुद्र और 47 सरव्य देशों के बीच एक परस्पर विश्वास साझेदारी के रूप में दूसरी भूमिका पर बहुदूरगामीय को संरक्षित है। सीटीएफ 153 (सहल गगन से समुद्री सुरु) के साथ किया जाता है।

2023 में की गई थी और इसका

शाह टाइम्स संवाददाता
पौड़ी/ श्रीनगर। पौड़ी

अंगित अथ तव सात लाख र
 विकसित गुणार्गों को जखम लाख
 मिल चुके हैं। मंत्री गणेश जोशी
 कोष विकास के अधिकारियों के
 पोषण विकास सम्मान निवेद्य योज-
 के लाभार्थियों के ई-केवाईसी
 निवेद्य सुवार्धों अथ सरस्वधायी
 विशेष के अर्थात् योज कर्तव्य
 निर्देश दिए। साथ ही स्वयं सहाय
 समूहों में महिलाओं के लिए
 पर्यायोजन के तहत विशेष उपलब्ध
 जाणुने के लिए भी विशेष जोशी
 जाणुने के लिए भी विशेष जोशी

इस अवसर पर एडीएम के
 मिश्रा, एडीएम हेरि निरी
 पर्यायोजन निदेश विकास मिश्र
 निदेश विकास अधिकारी सुनी
 कुमार, ग्राम प्रधान आस्था ने
 प्रमद देवी, क्षेत्र पंचायत सचिव
 धनराम गौड़, क्षेत्र प्रकोली
 निदेश राणा सहित क्षेत्रवास
 उपनिदेश रहे।

वित्तीय अनियमिताओं को लेकर दो अधिकारी निलंबित

बैठक में मुख्य विचारक अधिकारी दिवेश शर्मा, आर.सचिव अनुसूचित जनजाति आयोग कृष्ण देव वर्मा, वरिष्ठ अन्वेषक अकाश त्रिपाठी, सार्थक बोजुन, मिला दिवाला अधिकारी सुरेश मोहन डावाल, मुख्य विचारक अधिकारी केसर रावत, अमर सनस कल्याण अधिकारी अमर नरिन्दर, एसपीएमओ डा. हरनारायण, विचार रचनाकार अधिकारी विद्या सिंह संहमनस विचार दूरा कल्याण अधिकारी बोरस रावत, जिला सेवा योजना अधिकारी राजेश दासपाल, अण्ण बँक अधिकारी शशि नीतपाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी वीरम जैन, जिला अल संख्यव्यय अधिकारी अधिकारी नन्दनो बोरस कल्याण अधिकारी दिवेश बोरस डांगी, लघु सिंचाई सुरील कुमार लोनिथि गजेंद्र सिंह आदि मौजूद।

[illegible][illegible]

निर्माण प्रसंग/परिणत का आकस्मिक
निर्माण किया गया। संदेश के
आधार पर आज प्रतिष्ठान पर्यटन से
उठ दूध के नमूने जांच के लिए एक
का रज्य खाद्य एवं औषधि
प्रयोगशाला, हरद्वार, कुम्भ मिर्च नगर
को परिषद भेज चुके हैं, जहाँ
निर्देशण के समय मिल्क विनिर्ण
व्यवस्था में साफ-सफाई को जितने
व्यवस्था में नहीं वे नमूने जांच जाने
तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के
प्रकारानुसार के अनुसार मिल्क विनिर्ण

केन्द्रीय अर्थस्य पुष्पेश पिपाठी ने कहा कि उत्तराखण्ड क्रांति दल आगामी विधानसभा में भाग में आता है तो दल चयन की कार्यवाही है। इस वक़्त दल के प्रभु लोगों का पुष्पेश विधाचक्र व उत्तराखण्ड क्रांति दल के विचारों ने पुष्पेश पिपाठी ने कहा कि उत्तराखण्ड क्रांति दल को राज्य के लोगों को साथ आने का ही नमिल था। यह है, जिन में भागीने के लक्षणा पैदा कर दिए गए हैं, जिनको को लक्ष्म खसारे जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिनको को लक्ष्म खसारे जाते हैं। पहाड़ों के अस्पताल जाकर फ़िरके में खेती चारों हों है जो को बहुत प्यारी का विषय है। उत्तराखण्ड भाजपा काँग्रेस के जिनको के व प्रवेश सरकार के प्रति आग्रह कर रहे हुए कहा कि गोजे-गोजे-गुज-गुज है। उन्होंने बताया कि राज्य की गरिमा का अर्थवाचन आज जा रहा है और नज्दाल लक्ष्मि भी को है। इस दौरान की अर्थवाचन अर्थ सिद्ध मन्त्रालय, भुवनास और त्रिजाल

शाह टाइम्स संवाददाता
रुद्रपुर। जनसंपर्क और विकास कार्यो को कड़ी को आगे बढ़ाते हु
पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल
ग्राम बुससौर मुख् पाडामें विकास कार्यो को आगाज किया।
टुकराल ने ग्राम प्रधान गगनदीत् सिंह के साथ मिलकर काशी बनज
के घर से मंदिर तक और मुन्नी देव के घर तक निर्मित होने वाली 15 मीटर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्यो को आगाज किया।

नैर्माण कार्य का शुभारंभ



कार्य का विधिवत होना काटकर शुभाभि किया। इस विकास कार्य को शुभारंभ होने से स्थानीय ग्रामीणी को जनप्रभाव और आवश्यकता को समझने में बड़ी सहाय मिलीगी। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणी को संबोधित करते हुए पृथु विभागाध्यक्ष रमकानन्द दुकराल ने कहा कि क्षेत्र का प्रथममणी विकास उनका कीड़ा कार्यमणी है। उन्होंने कहा कि

गावों को आंतरिक सड़कों और नालियों का सुदृढ़ीकरण कनियाम जरूरत है और ये जनता को प्रमण्याओं के समझने से लिए बड़े प्रबलित हैं। उन्होंने कहा था और स्थानीय लोगों को आग्रह किया कि परिषद में भी क्षेत्र को विकास योजनाओं को तेजी से प्रभारण पर उतारा जाए। कार्यक्रम के समाप्त करने रंधा, राजेंद्र मोंग पण्य मोंग, रूलत प्रभार, अंबनं कान्ग, हरी हारदुम, सुदुधन मोंग देवराज सिंह, अजय नारायण सिंह, रेशम सिंह, निशिता विभागाध्यक्ष, रणवी सिंह, ब्रह्मन सहाय, अमरा रणवी सहाय, अमल सिंह, रण देव, सिंह, विरर सिंह, सुखन सिंह, हरन सिंह, पार सिंह, जय पण, वाद पण, सुमन हरि सहाय, पुनी देवी, सुमल पण, कारी बाबू, विक्रम मोहल बड़ी सहाय, विभागाध्यक्ष और कांयमणी मोजुर रहे।

लिफ्ट कार्डों रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम का रूपरेखा साझा करते हुए महापौर ने बताया कि मुख्यमंत्री सबसे पहले इंदिरा चौक पर नवनिर्मित त्रिशूल का लोकार्पण करेंगे और उसके पश्चात वह एवम् विशाल शिव बारात के साथ गांधी पार्क पहुँचेंगे, जहाँ वह विशाल

जनसमूह को संबोधित करेंगे।
महोत्सव के पहले दिन शाम ५ बजे गांधी पार्क में श्री अमरनाथ जी सेना में मंडल की ओर से आयोजित होगा।
वाले विशाल श्री शिव जागरण व शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा ज्योतिष प्रवृत्ति कर किया जाएगा।
फरवरी से २३ फरवरी तक चलने वाले इस कार्निवाल में प्रतिदिन श्रम को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों

को प्रस्तुति होगी, जिसमें कई नामचीन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। निरीक्षण के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दुकराल, श्री अमरनाथ श्री सेवक मंडल के अध्यक्ष अजय चड्ढा, राजन गुप्ता, अमित अरोरा बाँबी करुण राठौर, विवेकदीप सिंह सहित नगर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

निर्माण प्रसंग/परिणत का आकस्मिक
निर्माण किया गया। संदेश के
आधार पर आज प्रतिष्ठान पर्यटन से
उठ दूध के नमूने जांच के लिए एक
का रज्य खाद्य एवं औषधि
प्रयोगशाला, हरद्वार, कुम्भ मिर्च नगर
को परिषद भेज चुके हैं, जहाँ
निर्देशण के समय मिल्क विनिर्ण
व्यवस्था में साफ-सफाई को जितने
व्यवस्था में नहीं वे नमूने जांच जाने
तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के
प्रकारानुसार के अनुसार मिल्क विनिर्ण

केन्द्रीय अर्थस्य पुष्पेश पिपाठी ने कहा कि उत्तराखण्ड क्रांति दल आगामी विधानसभा में भाग में आता है तो दल चयन की कार्यवाही है। इस वक़्त दल के प्रभु लोगों का पुष्पेश विधाचक्र व उत्तराखण्ड क्रांति दल के विचारों ने पुष्पेश पिपाठी ने कहा कि उत्तराखण्ड क्रांति दल को राज्य के लोगों को साथ आने का ही नमिल था। यह है, जिन में भागीने के लक्षणा पैदा कर दिए गए हैं, जिनको को लक्ष्म खसारे जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिनको लक्ष्म खसारे जाते हैं। शिष्टा को हालत बहुत खराब है। पहाड़ों के अस्पताल अधिक संक्रामक है। जिनको चारों ओर है जो को बहुत चिन्ता का विषय है। जिनको भाजपा एवं कांग्रेस के जिनको चयन कर प्रवेश सरकार पर तोड़ने प्रारम्भ कर रहे हैं। कहा कि गोजे-गोजे-गुज-गुज है। उन्होंने बताया कि राज्य की गरिमा का अर्थवाचन आज जा रहा है और जिनके जिनके लक्ष्म पैदा हो रहे हैं। इस दौरान केन्द्रीय अर्थवाचन ईश्वर मन्त्रालय, भुवनेश्वर और त्रिपुरा के

है। इस मिशन इकाई से भी प्रतिस्पर्धा में भाग-सफाई व स्वच्छता रखने एवं मानकों के अनुरूप खाली वेड और कामिनिंग, पैकिंग व विक्रम करने के दिवसों को पर हो दिनें ऐसे इसकें अवितरित शक्तिमान् सितारंगन में शील पेय की वितरक फर्म श्री श्रम एण्ड कामिनी कामिनी कर वहा से भी कोलड्रिंक के 0.7 नुनने जूते हेतु लेक प्रयोगशाला परीक्षा हेतु पेय दिनें येये यैय फर्म के निरीक्षण के समय श्री श्रम एण्ड कामिनी के पास एसएसएसएआ का फूड लाइसेंस नहीं पाया गय तथा इस सम्बन्ध में शील पेय अपूर्णता फर्म आम एण्ड कामिनी कोड, कारीगरी फर्म की प्राधान्यता के अनुपालन न करने के कारण नोटिफिकर कर सम्बन्धित दोनो फर्म को विवेक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अमर्गत सख्त नुननेय में वाद वारा करने के

विधिक कार्यवाही को जारेंगी। स
प्रतिपक्षों स्वामी/विक्केताओं व
संनिधे खाद्य पदार्थों का विक्रय न
करने के निदेश दिए गये थे खाद्य
का खाद्य कारोबारकों को निरंश
किया गया है कि किसी भी स
पूजकारिता द्वारा यह एफएसएस
एक्ट 2006 के मानकों के अनुर
खा पदार्थों का विक्रय, निमां
संग्रह, वितरण सहज ही न हो
पाने वाले पर एवं वि
पूजकारिता/लाईसेंस के खा
कारोबार किया जाता है तो उस
सिद्ध कर कार्यविक कार्यवाही न
जारी, साथ ही सभी खाद्य कारो
रियों को निरंश किया गया है
खाद्य पदार्थों के क्रय वित्तां
एफएसएसएआई लाईसेंस संख
अंकित होना अनिवार्य है।

क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खास
पैदावा को क्रय विक्रय करने का
नैतिक रिकॉर्ड रखने के लिए कहा
गया। साथ ही आज जमानत से
अपनी को मुर्द की खाद्य एवं पौ-
ष्टार्थों को ख़ुदते समय निम्नानु-
विधि/उपभोग को तिथि व खास
कार्यवाही को खाद्य लाईसेंस एवं
पंजीकरण अवश्य रखें तथा निम्न-
गुणवत्ता, अस्मरकृत, एवं
अन्यस्मरकृत खाद्य सामग्री विक्रय
की जाने पर टोल कर की जरूरत
18001804246 पर शिकायत क
सकते हैं। अभियान में हमें खास
सुरक्षा उपयुक्त, कुमांन मण्डल
डा. राजेन्द्र सिंह कायस्थ, ललित
मोहन पाण्डे सहायक आयुक्त
ऊधम सिंह नगर, अर्पणा सह-
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कारोपर एवं आशा आर्या खाद्य
सुरक्षा अधिकारी स्वरूप अति-
समर्थित रहे।

[illegible]

जसपुर। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा जसपुर के सभी पदाधिकार सदस्यों, नगर के समाजसेवियों के सहयोग से महाशिवरात्रि पर्व पर पूर्व व लगभग 20 वर्षों की तरह इस बार भी निशुल्क तीन दिवसीय चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर सभी ने भावना भरोसे से प्रार्थना की। कावड़ यात्रा शांति पूर्वक बीते, देश, विश्व में भाईचारा एवं शांति बनी रहे। इस अवसर पर पूरे विधानिका डॉक्टर शैलेंद्र माने सिंगल, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल, नगर पालिका अध्यक्ष गीतादास सम्राट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक अपीक्षक धीरेंद्र गहलोत, अशोक खन्ना, हरिओम सिंह, तरुण गहलोत, अंकुश बंसल, राजकुमार जैन, डा. वीरगो गोताम, निशांत अहोड़ा, शकील अहमद, उस्मान अहमद, कृपाल सिंह, डॉक्टर सिंघानिया, डॉक्टर शिवकिशोर, नरेश कुमार, यशपाल सिंह, डा. बृजेश, मुकेश कुमार, डॉक्टर बाबू रंजन यादव, अपेक्षक कुमार आदि उपस्थित रहे।

शाह टाइम्स सेवादाता
बाजपुर। बहाकमारीज के बाजपुर केंद्र में १०वीं त्रिमूर्ति महाशिवरात्रि

महोत्सव का गुस्वारा को आयोजन बड़े प्रेक्षा, उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण के बीच किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई-बहनों ने सहभागिता कर महोत्सव को गरिमामय बनाया। कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए बाजपुर केंद्र की संघालिका बांके ज्योति दीदी ने महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य प

रामनगर। भारतीय जनता पार्टी
अनसूचित मोर्चा के द्वारा नगर

[illegible]

गदरपुर। मौडिया
बल्लभ गदरपुर की

[illegible]

संगठन संस्था का दायित्व विपणन प्रजावर्तों को दिया गया, जबकि
सर्विष एवं पर रिजर्व शर्मा और सचिव गुणा को मनीषा का दिया गया, उससे
बच के रूप में संगीत गाना और ताकुरा रिषमण को जिम्मेवारी दी गई है।
सब के अतिरिक्त मीडिया प्रचारों पर राखिम जखड़ा को नियुक्त किया
गया। संक्षेप में मंडल में रात्रेय पना सिंह, विनोद गुप्ता, श्री. रा. सिंह,
सरोज भंडल और काजल गाय को शामिल किया गया है। वहीं विपणन
सलाहकार के रूप में जुफिकाक अली तथा कार्यकारी सदस्य के रूप में
गुणा कुमार और को जिम्मेवारी दी गई है। इस दौर अन्धश्रम मुकेश पाल
कहा कि कार्यकारी मीडिया का कार्य है सहायता को तथा कनेक्ट, प्रकाश
दीप के मुख्यों को पहुंचाना तथा और गगर में किरायाक सभाजित संस्था
को और आवाहन के लिए प्रेरित प्रवर्द्धन है। रात्रेय पना सिंह सदस्यों
मीडिया क्लब सदस्यों को न उंचायाय लेने जानें का संकल्प लिया और
प्रकाशदीप को गरिमा बनाय रहने का भरोसा जताया। इस दौर अन्धश्रम
नगणपत, रात्रेय जखड़ा और प्रकाश मुकुंद जहाँ।

पा का चुनाव: त्रिपाठी

[illegible]

घूसखोर पंडित पर रोक

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने घूसखोर पंडित फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। साथ ही इसके फिल्म मेकर नीरज पाण्डेय को भी फटकार लगाई और स्पष्ट कहा कि ऐसे टाइटल का इस्तेमाल कर समाज के एक हिस्से को बदनाम नहीं किया जा सकता। भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन सचिव अतुल मिश्रा ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि फिल्म घूसखोर पंडित की रिलीज पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बताती है कि उसने याचिकाकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लिया है और माना है कि इस तरह के टाइटल समाज में वैमनस्य का कारण बनते हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरला और उज्जल भूयान की बेंच कर रही है। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। पीठ ने मेकर्स से साफ कहा कि आप ऐसे टाइटल का इस्तेमाल कर समाज के एक हिस्से को बदनाम क्यों कर रहे हैं। यह नैतिकता के खिलाफ है। हालांकि मैकर्स ने फिल्म का नाम बदलने पर सहमति जताई है। इस पर पीठ का कहना था कि जब तक आप हमें बदला हुआ नाम नहीं बताते तब तक हम आपको इसी रिलीज करने नहीं देंगे। कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश भी जारी किया है। जिसमें यह बात साबित करने के लिए कहा गया है कि घूसखोर पंडित समाज के किसी भी वर्ग को नीचे नहीं दिखाता। असल में मेकर्स का कहना रहा है कि घूसखोर पंडित मात्र एक टाइटल है और इसका किसी व्यक्ति या समाज से लेना देना नहीं है। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी जैसे मंझु हुए अभिनेता काम कर रहे हैं। उनके अलावा नुसरत भरूचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय और दिव्या दत्ता जैसे कलाकार जुड़े हुए हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि फिल्में समाज को कहीं न कहीं से अवश्य प्रभावित करती हैं। इसलिए फिल्म मेकर्स को चाहिए कि वह इस तरह का कोई काम न करे। जिससे समाज में किसी तरह का वैमनस्य पैदा हो, लेकिन यहाँ यह कहना भी जरूरी है कि घूसखोर पंडित कोई आज इकलौती फिल्म नहीं है जो विवादों के घेरे में है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इस तरह की फिल्में लाई जाती हैं जो बड़े विवाद का कारण बनती हैं और समाज के एक हिस्से को प्रभावित करती हैं। कई बार तो यह भी देखने में आया है कि इस तरह की फिल्मों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। छावा, कश्मीर फाइल्स, गुजरात फाइल्स आदि कई फिल्में काफी विवादों के घेरे में रही हैं। कई फिल्मों पर तो बवाल भी कड़ा। इस तरह की फिल्में वास्तव में नहीं बननी चाहिए। सच तो यह भी है कि इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी चाहिए और जो इससे संबंधित विभाग है, यह उनके स्तर तक ही रहनी चाहिए। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन को भी नोटिस दिया है।

किसानों, मजदूरों और श्रमिकों का भविष्य खतरे में

विदेशी दबाव में आकर किए गए समझौते देशहित के खिलाफ हैं और सरकार की नीतियां करोड़ों मेहनतकश किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। देशभर में ट्रेड यूनियन, किसान और मजदूर सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियां करोड़ों मेहनतकश किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं, विदेशी दबाव में आकर किए गए समझौते देशहित के खिलाफ हैं और इससे आम नागरिकों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, छोटे व्यापारी, कामगार और आम जनमानस इस कथित जन-विरोधी डील का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, पार्टी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। **मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस अध्यक्ष**



आजादी के राष्ट्रीय आन्दोलन में उल्लेखनीय योगदान देने वाली स्वतंत्रता सेनानियों में ‘नाइटिंगेल ऑफ इंडिया’ तथा ‘भारत कोकिला’ के नाम से विख्यात प्रख्यात कवयित्री और देश के सर्वोत्तम राष्ट्रीय नेताओं में से एक सरोजिनी नायडू का नाम सर्वेव आदर के साथ स्मरण किया जाता है। उनके नाम का जिक्र होते ही एक ऐसी महिला की छवि उभरकर सामने आती है, जिन्हें कई भाषाओं में महारत हासिल थी और जिनकी लिखी कविताएं हर ओर धूम मचाती थी। उन्हीं के सम्मान में उनके जन्मदिवस 13 फरवरी को अब प्रतिवर्ष ‘राष्ट्रीय महिला दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में जन्मी सरोजिनी नायडू की 135वें जयंती के अवसर पर 13 फरवरी 2014 से देश में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और आज समूचा देश उनकी 147वें जयंती मना रहा है।

सरोजिनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक रसायन वैज्ञानिक और निजाम कॉलेज के संस्थापक थे जबकि उनकी माता वरदा सुंदरी बंगाली कवयित्री थी। सरोजिनी के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी भी उन्हीं की भांति महान् वैज्ञानिक बने लेकिन सरोजिनी को कविताओं से अगाध प्रेम था, जिसे वह कभी त्याग नहीं सकी। वह बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में बहुत तेज थी और उन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु में ही मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था तथा केवल 13 वर्ष की आयु में ही 1300 पदों की लेडी ऑफ द लेक नामक पहली लंबी कविता और करीब 2000 पंक्तियों का अपना पहला विस्तृत नाटक लिखकर अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं पर अपनी पकड़ का परिचय दिया था। पढ़ाई के साथ-साथ वह कविताएं भी लिखती थीं और उनका पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रैशहोल्ड 1905 में प्रकाशित हुआ, जो आज भी पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। उन्हें शब्दों की जादूगरनी के नाम से भी जाना जाता था। 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लगभग सभी प्रमुख अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था।

मेधावी होने के कारण 1895 में हैदराबाद के निजाम ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए वकीले पर इंग्लैंड भेजा और इस प्रकार केवल 16 साल की उम्र में ही वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गईं। पहले लंदन के किंग्स

इस बार के बजट में और पिछली बार के बजट में क्या अंतर है इस बजट में ऐसी क्या खास बात है और यह चुनावी बजट है। अगले साल जनवरी-फरवरी में इस वक्त चुनाव चल रहा होगा यानी वोटिंग चल रही होगी कई चरण का चुनाव निपट गया होगा। जनरल बजट लाने का अवसर सरकार के पास नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा यही चुनावी बजट है इसके बाद आप मानकर चलिए। सितंबर वगैरा तक सरकार सप्लीमेंट्री बजट भी लेकर आएगी वे सप्लीमेंट्री बजट किसका होगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उसकी भी सरकार के पास व्यवस्था है।

संघर्ष, सेवा और साहित्य का संगम था सरोजिनी नायडू का जीवन



कॉलेज और उसके बाद कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में उन्हें अध्ययन करने का अवसर मिला। इंग्लैंड का मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण वह 1898 में ही इंग्लैंड से स्वदेश लौट आईं। जब वह इंग्लैंड से लौटी, तब फौजी डॉक्टर डा। गोविन्दराजुलु नायडू के साथ विवाह करने को उत्सुक थीं, जिन्होंने तीन साल पहले उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। हालांकि शुरू में सरोिनी के पिता इस शादी के खिलाफ थे लेकिन बाद में 19 साल की उम्र में उनकी शादी डा। गोविन्दराजुलु के साथ हो गई।

1914 में जब सरोजिनी नायडू पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिली, तभी उनके विचारों से प्रभावित होकर वह वतन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर हो गईं

और अपना जीवन देशसेवा में समर्पित कर दिया। 1915 से 1918 तक उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी की लड़ाई में सकटों का डटकर मुकाबला करते हुए वह एक वीरांगना की भांति गांव-गांव, गली-गली घूमकर देश-प्रेम की अलख जगाकर देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रही। उन्होंने न केवल गांधीजी के अनेक सत्याग्रह आन्दोलनों में हिस्सा लिया और जीवन-पर्यन्त उनके विचारों तथा मार्ग का अनुसरण किया बल्कि ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के तहत जेल भी गई थी। दांडी मार्च के दौरान गांधीजी के साथ अग्रिम पंक्ति में चलने वालों में वह भी शामिल थी। उनके विनोदी स्वभाव के कारण उन्हें ‘गांधीजी के लघु दरबार में विदूषक’ भी कहा जाता था।

महात्मा गांधी के अलावा सरोजिनी नायडू, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट तथा पं. जवाहरलाल नेहरू के साथ भी विशेष रूप से जुड़ी रही। गोपाल कृष्ण गोखले को तो वह अपना राजनीतिक पिता मानती थी। गांधीजी तो अपने पत्रों में सरोजिनी नायडू को कभी ‘डियर बुलबुल’ तो कभी ‘डियर मीराबाई’ और कभी-कभी मजाक में ‘अम्माजान’ या ‘मदर’ भी लिखते थे, वहीं सरोजिनी भी गांधीजी को मजाकिया अंदाज में कभी ‘जुलाहा’ तो कभी ‘लिटिल मैन’ और कभी ‘मिकी माउस’ कहा करती थी। गांधीजी ने 8 अगस्त 1932 को सरोजिनी नायडू को लिखे एक पत्र में उन्हें ‘बुलबुल’ नाम से सम्बोधित किया था और उसी पत्र में उन्होंने स्वयं के लिए ‘लिटिल मैन’ शब्द इस्तेमाल



योगेश कुमार गोयल

किया था। सरोजिनी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनीं। वह 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनीं और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। अंग्रेजी भाषा पर सरोजिनी की बहुत मजबूत पकड़ थी, लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। बहुभाषाविद सरोजनी नायडू अपना भाषण क्षेत्रानुसार अंग्रेजी, हिन्दी, बांग्ला अथवा गुजराती भाषा में देती थीं। गांधीजी ने मधुर आवाज और उनके भाषणों से प्रभावित होकर ही उन्हें ‘भारत कोकिला’ की उपाधि दी थी। देश की अनुसरण किया बल्कि ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के तहत जेल भी गई थी। दांडी मार्च के दौरान गांधीजी के साथ अग्रिम पंक्ति में चलने वालों में वह भी शामिल थी। उनके विनोदी स्वभाव के कारण उन्हें ‘गांधीजी के लघु दरबार में विदूषक’ भी कहा जाता था।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट तथा पं. जवाहरलाल नेहरू के साथ भी विशेष रूप से जुड़ी रही। गोपाल कृष्ण गोखले को तो वह अपना राजनीतिक पिता मानती थी। गांधीजी तो अपने पत्रों में सरोजिनी नायडू को कभी ‘डियर बुलबुल’ तो कभी ‘डियर मीराबाई’ और कभी-कभी मजाक में ‘अम्माजान’ या ‘मदर’ भी लिखते थे, वहीं सरोजिनी भी गांधीजी को मजाकिया अंदाज में कभी ‘जुलाहा’ तो कभी ‘लिटिल मैन’ और कभी ‘मिकी माउस’ कहा करती थी। गांधीजी ने 8 अगस्त 1932 को सरोजिनी नायडू को लिखे एक पत्र में उन्हें ‘बुलबुल’ नाम से सम्बोधित किया था और उसी पत्र में उन्होंने स्वयं के लिए ‘लिटिल मैन’ शब्द इस्तेमाल

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

यह विदाई बजट से भाजपा की विदाई तय !

तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेस्ट डाटा सेंटर नहीं है तो सरकार ने उसके लिए बजट में प्रोविजन किया है नए एलोकेशन किए हैं फंड के ताकि उत्तर प्रदेश में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेस्ट डाटा सेंटर तैयार कर सकें। खाली डाटा सेंटर की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। वह सिर्फ नाम रह गए हैं। वैसे डाटा का एक स्मार्ट गोदाम है। सरकार ने स्टार्टअप के लिए भी बड़ा फंडा लोकेट किया है। पारंपरिक मत जो है वह तो है ही शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सिंचाई का इनका एक अलग बजट होता है सविस्डी का वह तो है ही और सरकार ने यह वादा किया है इस बार का जो बजट है लोगों को जाँब्स भी मुहैया कराई जाएगी। डायरेक्ट जाँब्स और इनडायरेक्ट जाँब्स। डायरेक्ट जाँब्स वेह जो सरकारी नौकरियां मिलेंगी और इनडायरेक्ट जब वह सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी और उद्योग धंधे लेगी उसमें जो इनडायरेक्ट जाँब मिलेंगी उसे पर भी सरकार का एक बार विधानसभा में बड़ा फॉकस रहा है। इस बार के बजट में और पिछली बार के बजट में क्या अंतर है इस बजट में ऐसी क्या खास बात है और यह चुनावी बजट है। अगले साल जनवरी-फरवरी में इस वक्त चुनाव चल रहा होगा यानी वोटिंग चल रही होगी कई चरण का चुनाव निपट गया होगा। जनरल बजट लाने का अवसर सरकार के पास नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा यही चुनावी बजट है इसके बाद आप मानकर चलिए। सितंबर वगैरा तक सरकार सप्लीमेंट्री बजट भी लेकर आएगी वे सप्लीमेंट्री बजट किसका होगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उसकी भी सरकार के पास व्यवस्था है



आज की डेट में मेरे अंदाज से सरकार के पास बचपन से 60000 करोड़ का कैश इस वक्त मौजूद है। सरप्लस पैसा रखा है जो अगले साल सितंबर नवंबर में बाउंसर आएगी खर्च कर लेंगे। चुनाव के लिए विपक्ष का गंभीर आरोप है सरकार बड़ी-बड़ी फिगर लेकर आती है लेकिन पैसे खर्च ही नहीं करती। यह बजट कहा जो पिछली बार विधानसभा से पास हुआ था 55 प्रतिशत खर्च हुआ है। ऐसा विपक्ष का कहना है अखिलेश यादव जी का कहना है कि यह सरकार का अंतिम बजट है अगला बजट हम पेश करेंगे यह जो बजट पेश हुआ है यह झूठ का पुलिंदा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है यह सत्ता पर के दावे और विपक्ष के दावे की बात है आम आदमी को क्या मिला योगी सरकार ने पहला बजट 2 लाख 70000 करोड़ से शुरू किया था और यह बढ़ता जा रहा है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

पुलिस की मनमानी गिरफ्तारियों पर रोक लगाता सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की मनमानी गिरफ्तारियों पर सख्त अंकुश लगाया है। यह फैसला उन अपराधों से संबंधित है जहां सजा की अधिकतम अवधि सात साल तक की कैद है। सतेंद्र कुमार एंटिल बनाम सीबीआई मामले में न्यायमूर्ति एम।एम। सुंदरेश और एन। कोटिस्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी अपवाद है, जबकि नोटिस जारी करना नियम। यह निर्णय न केवल पुलिस को कार्यप्रणाली में सुधार लाएगा, बल्कि आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। फैसले के बाद इस मामले को पुष्टभूमि, कानूनी प्रावधानों, गिरफ्तारी की आवश्यकता और आम नागरिकों पर इसके प्रभाव पर चर्चा होने लगी है। जिससे कि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पहले समझते हैं कि यह फैसला ऐतिहासिक क्यों है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में गिरफ्तारी एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार था, लेकिन इसका अक्सर दुरुपयोग होता था। विशेष रूप से कम गंभीर अपराधों में, जहां सजा सात साल से कम थी, पुलिस बिना सॉचे-समझें लोगों को हिरासत में ले लेती थी। इससे न केवल जेलों में भीड़ बढ़ती थी, बल्कि निंदोष नागरिकों का जीवन बर्बाद होता था। 2014 में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि ऐसे

अपराधों में गिरफ्तारी निश्चित नहीं होनी चाहिए। पुलिस को पहले जांच करनी चाहिए और गिरफ्तारी केवल आवश्यक होने पर ही करनी चाहिए, लेकिन अब नई व्यवस्था में, 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने इस प्रक्रिया को और मजबूत किया है। बीएनएसएस धारा 35 सीआरपीसी की धारा 41 का स्थान लेती है, जबकि बीएनएसएस धारा 35(3) सीआरपीसी की धारा 41ए के समान है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 35 भी गिरफ्तारी से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक पहलू बीएनएसएस में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस धारा 35(1) पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार देती है, लेकिन शब्द में (may) का प्रयोग दर्शाता है कि यह विवेकाधीन है, न कि अनिवार्य। धारा 35(1)(बी) में कहा गया है कि पुलिस को विश्वास होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है और गिरफ्तारी जांच के लिए जरूरी है, लेकिन धारा 35(3) के तहत पुलिस द्वारा पहले नोटिस जारी करना अनिवार्य है, जिसमें आरोपी को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने और सहयोग करने को कहा जाता है।

सवाल है कि क्या गिरफ्तारी आवश्यक है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट उत्तर है- ‘नहीं, यह अपवाद है।’ फैसले में कहा गया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी केवल तब की जा सकती है जब आरोपी को पालन न करे, या जांच में बाधा डाले, सबूतों से छेड़छाड़ करे, गवाहों को प्रभावित करे, या अदालत में पेश न होने का खतरा हो। पुलिस को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

सवाल है कि क्या गिरफ्तारी आवश्यक है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट उत्तर है- ‘नहीं, यह अपवाद है।’ फैसले में कहा गया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी केवल तब की जा सकती है जब आरोपी नोटिस का पालन न करे, या जांच में बाधा डाले, सबूतों से छेड़छाड़ करे, गवाहों को प्रभावित करे, या अदालत में पेश न होने का खतरा हो। पुलिस को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। यह अर्नेश कुमार फैसले की भावना को दोहराता है, जहां कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी जांच का साधन है, न कि सजा। बीएनएसएस धारा 35(6) गिरफ्तारी को धारा 35(1)(बी) के साथ जोड़ती है, लेकिन कोर्ट ने जोर दिया कि पुलिस को सतर्क रहना चाहिए और गिरफ्तारी को अंतिम विकल्प ही मानना चाहिए।

यदि नोटिस के बाद भी आरोपी सहयोग करता है, तो गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। यह अर्नेश कुमार फैसले की भावना को दोहराता है, जहां कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी जांच का साधन है, न कि सजा। बीएनएसएस धारा 35(6) गिरफ्तारी को धारा 35(1)(बी) के साथ जोड़ती है, लेकिन कोर्ट ने जोर दिया कि पुलिस को सतर्क रहना चाहिए और गिरफ्तारी को अंतिम विकल्प ही मानना चाहिए।

ऐसे में यह फैसला आम नागरिकों के लिए क्या

मायने रखता है? सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि अब पुलिस की मनमानी कम होगी। पहले, छोटे-मोटे अपराधों जैसे धोखाधड़ी, मारपीट या संपत्ति विवाद में लोग रातोंरात जेल में डाल दिए जाते थे, जिससे उनका करियर, परिवार और सम्मान प्रभावित होता था। लेकिन अब, नोटिस मिलने पर नागरिक पुलिस के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं, बिना हिरासत में लिए। इससे जेलों में अनावश्यक भीड़ कम होगी। उल्लेखनीय है कि भारत में जेलों की क्षमता से 130: अधिक कैदी हैं, जिनमें से अधिकांश विचाराधीन हैं। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करता है। महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि वे गिरफ्तारी के दौरान अधिक शोषण का शिकार होते हैं, लेकिन इस फैसले का असली लाभ तभी मिलेगा जब नागरिक अपने अधिकारों से अवगत होंगे। आम आदमी को पता होना चाहिए कि यदि अपराध सात साल से कम सजा वाला है, तो पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसे में आपको नोटिस मिलने पर आप क्या करें? सबसे पहले, नोटिस को ध्यान से पढ़ें, इसमें अपराध का विवरण, हाजिर होने की तारीख और सजा बताई है। एक वकील से सलाह लें और पुलिस स्टेशन जाएं। यदि आप जांच में पुलिस का सहयोग करते हैं, तो गिरफ्तारी की संभावना कम है। यदि पुलिस बिना नोटिस गिरफ्तार करने की कोशिश करे, तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिकारी दंडित हो



रजनीश कपूर

सकते हैं। नागरिकों को यह भी जानना चाहिए कि बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (जैसे व्हाट्सएप) अमान्य हैं य नोटिस व्यक्तिगत रूप से या डाक से ही दिया जाना चाहिए। हालांकि, इस फैसले की कुछ सीमाएं भी हैं। गंभीर अपराधों (सात साल से अधिक सजा वाले) में गिरफ्तारी अभी भी आसान है और पुलिस दुरुपयोग कर सकती है। जांच की गुणवत्ता में सुधार के बिना, अपराधी बच सकते हैं। फिर भी, यह न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, जो पुलिस सुधार की दिशा में एक कदम है। सरकार को पुलिस प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र की मजबूती है, जहां नागरिक पुलिस से डरें नहीं, बल्कि सहयोग करें। हर नागरिक को अपने अधिकार जानने चाहिए, गिरफ्तारी कोई सजा नहीं, बल्कि जांच का हिस्सा है। यदि हम जागरूक होंगे, तो न्याय व्यवस्था अधिक निष्पक्ष बनेगी। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून सबके लिए समान है और स्वतंत्रता हमारा मौलिक हक।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

